न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरवाड़ जिला अजमेर

राजस्व वाद संख्या 25 / 2011

1. ईस्माइल पुत्र श्री अशरफ खाँ
2. इब्राहिम पुत्र श्री अशरफ खाँ जाति मुसलमान निवासी सरवाड़ तहसील सरवाड़

– वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़

– प्रतिवादी

निर्णय अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम व धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम

वकील 1. श्री शैलेन्द्र जैन वादीगण
2. पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार सरवाड़

निर्णय दिनांक 18.10.2019

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सरवाड़ में स्थित आराजी भूमि के संबंध में एक वाद वादीगण द्वारा इस आशय का पेश किया गया कि यह कि खातेदारी की आराजी कस्बा सरवाड़ तहसील सरवाड़ जिला अजमेर में खसरा संख्या 1213 / 4 रकबा 06.15.00 बीघा किस्म बा0 2 स्थित है। जिसमें वाद में वर्णित आराजी पूर्व में मुमताज पुत्र रहमान खां जाति मुसलमान निवासी सरवाड़ की गैर खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी। जिसकी खातेदारी मुमताज के नाम पर नामा. सं. 74 दिनांक 16.11.77 को की गई। जब से ही मुमताज वाद वर्णित आराजी का खातेदार काश्तकार दर्ज चला आ रहा था तथा कब्जा काश्त मुमताज का चला आ रहा था। यह कि वाद वर्णित आराजी का मुमताज को खातेदारी प्राप्त होने के बाद सन 1981 में वादीगण को रूपये 2000 में बेचान कर दी तथा वाद वर्णित आराजी पर कब्जा वादी पक्षकार का चला आ रहा है। यह कि उक्त आराजी को खरीदने के बाद भूमि का नामान्तकरण वादीगण के नाम नामान्तरकरण संख्या 233 दिनांक 20.05.1981 को खोला गया। लेकिन राजस्व कर्मचारियों की गलती से उपरोक्त नामान्तरकरण का अमल दरामद राजस्व जमाबंदी में नहीं किया गया तथा आराजी को सरकारी भूमि दर्ज कर दिया गया है जो कतई गलत होने से दुरूस्त होने काबिज है। यह कि वाद वर्णित आराजी को राजस्व रिकॉर्ड में सरकारी कर्मचारियों की गलती से बिना किसी आधार के सरकारी बंजर भूमि दर्ज कर दी गई। जबकि आराजी पर वादीगण का कब्जा स्वामित्व व आधिपत्य इमरोज खरीद से चला आ रहा है। जिसका नामान्तरकरण भी वादीगण के नाम हो चुका है। लेकिन राजस्व जमाबंदी में

वादीगण का नाम इन्द्राज नहीं किया गया जिसका इन्द्राज किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। वादीगण का यह वाद प्रस्तुत करने का मूल कारण दिनांक 05.04.2009 को उत्पन्न हुआ जब वादीगण हल्का पटवारी से अपने नाम की जमाबंदी लेने गये तब पटवारी हल्का ने वाद वर्णित आराजी उपरोक्त को सरकारी होना बताया तब तहसील में जाकर नामान्तरकरण की जानकारी की जबसे ही दिन प्रतिदिन वाद उत्पन्न हो रहा है। जिस कारण यह वाद प्रस्तुत किया गया है। यह कि वाद पत्र स्वीकार फरमाया जाकर डिक्रि वादीगण के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादी फरमायी जावे तथा आराजी का नामान्तरकरण संख्या 233 के मुताबिक वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादी, नाके नोकर चाकर, कर्मचारी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वाद वर्णित आराजी में कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे।

हमने पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया व जवाब सरकार पर गौर किया। तनकीवार निर्णय निम्न प्रकार हैः–

1. आया वादपत्र में वर्णित आराजी मुमताज पुत्र रहमान खां जाति मुसलमान से वादी ने भूमि क्रय की थी। जिसका नामान्तरकरण भी वादी के नाम दिनांक 20.05.1981 को वादीगण के पक्ष में किया है। किन्तु राजस्व अधिकारियों की गलती से सिवायचक दर्ज कर दी गई। जिसका वादी खातेदार हक प्राप्त करने का अधिकारी है।

वादीगण

2. वाद वर्णित आराजी सिवायचक खातें मे है प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 74 दिनांक 16.11.1977 को विधि विपरीत होने से निरस्त कर दिया था। नामान्तरकरण संख्या 233 व 74 के आधार पर खोला गया है जो कि खारिज हो चुका है। अतः वाद इसके आधार पर खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

प्रतिवादी

3. दादरसी

वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि उसका कब्जा विवादित आराजीयात पर खरीद के पश्चात वर्ष 1981 से है तथा वह खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। प्रतिवादी पैरोकार सरकार तहसीलदार सरवाड़ ने अवगत कराया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आराजी सिवायचक दर्ज है तथा नामन्तरकरण 74 दिनांक 16.11.1977 को विधि विपरीत होने से तत्कालीन तहसीलदार ने नामान्तरकरण निरस्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में मुमताज को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होने से आराजी विक्रय करने का अधिकार नहीं था। यह कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 233 में नामन्तरकरण संख्या 74 स्वीकृत दर्शा कर नामान्तरकरण संख्या 233 स्वीकृत करवाया है। जबकि वस्तुस्थिति को यह है कि नामान्तरकरण संख्या 74 खारिज किया हुआ है।

तनकी नं. 1:– वादी वाद वर्णित आराजी मुमताज पुत्र रहमान मुसलमान से वादीगण ने भूमि क्रय की थी। जिसका नामान्तरकरण भी वादी के नाम पर दिनांक 20.05.1981 को कर दिया गया था। राजस्व अधिकारियों की गलती से उसे सिवायचक घोषित कर दिया गया था। अतः वादी खातेदार हक प्राप्त करने का अधिकारी है। पैरोकार सरकार के जवाब एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में आराजी सिवायचक दर्ज है तथा नामान्तरकरण 74 दिनांक 16.11.1977 को विधि विपरीत होने से तत्कालीन तहसीलदार ने नामान्तरकरण निरस्त कर दिया है। ऐसी स्थिति में मुमताज को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने से आराजी विक्रय करने का अधिकार नहीं था। यह कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 233 में नामन्तरकरण संख्या 74 स्वीकृत दर्शा कर नामान्तरकरण संख्या 233 स्वीकृत करवाया है। जबकि वस्तुस्थिति को यह है कि नामान्तरकरण संख्या 74 खारिज किया हुआ है। कब्जा मात्र होने से वादी खातेदार घोषित होने के अधिकारी नहीं है। अतः यह तनकी वादी के खिलाफ तय की जाती है।

तनकी नं. 2:– पैरोकार सरकार के जवाब व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि वाद वर्णित आराजी सिवायचक खातें में है प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 74 दिनांक 16.11.1977 विधि विपरीत होने से तत्कालीन तहसीलदार द्वारा नामान्तरकरण निरस्त कर दिया था नामान्तरकरण 233 को नामान्तरकरण संख्या 74 को स्वीकार दर्शाये जाने के आधार पर स्वीकृत किया गया है। जबकि नामान्तरकरण संख्या 74 खारिज किया जा चुका था ऐसी स्थिति में मुमताज को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होने से उक्त आराजी को विक्रय करने का अधिकार नहीं था। केवल कब्जा मात्र होने से वादीगण खातेदार घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं बन जाता। वादी का वाद खारिज करने योग्य है। अतः यह तनकी वादी के खिलाफ व प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

अनुतोष

तनकी नं0 1 वादी के खिलाफ व तनकी नं. 2 प्रतिवादी के पक्ष में निर्णय की गई अतः वादी का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं है। केवल मात्र कब्जा होने के आधार पर घोषणा करने का अधिकारी नहीं होता है।

निर्णय

अतः वादी का वाद ग्राम सरवाड़ के खसरा नं. 1213/4 रकबा 06–15–00 बा0 2 पर वादी का वाद खारिज किया जाता है तथा तहसीलदार सरवाड़ को निर्देशित किया जाता है कि वादी को आराजी सिवायचक भूमि पर अतिक्रमी मानते हुये अतिक्रमण नियमानुसार हटाये जाने की कार्यवाही कर पालना से अवगत करावे। निर्णय आज दिनांक 18.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(तारामती वैष्णव)
उपखण्ड अधिकारी, सरवाड़

Signature Not Verified
Digitally signed by Taramati Vaishnava
Date: 2019.12.20 15:40:31 IST
Reason: SelfAttested
Location: